न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2010/00072 (87/2010) 75 एलआरएक्ट

स्टेट. ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़– अपीलान्ट

बनाम

1. नक्षत्रसिंह पुत्र दर्शन सिंह
2. बलकरण सिह पुत्र बूटा सिह
3. मनप्रीतसिंह पुत्र गुरचरण सिंह

जाति जटसिख सा0 1 जी0जी0आर0 तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 28.05.2010 प्रकरण संख्या 95/2009

बअनवानी नक्षत्र सिंह बनाम सरकार

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री महेन्द्रसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट की ओर से ।

<u>निर्णय</u> दिनांक – 15.01.2020

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद् जारी करने बाबत शीर्षक से चक 1 जी0जी0आर0 के प0 नं0 229/299 की 1.265 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में विचित्र सिंह, बोधासिह पि0 बूटासिंह जाति जटसिख के नाम से अंकित है को जरिये इकरारनामा क्रय करना दर्शित करते हुए खातेदारी सनद जारी करने का निवेदन किया।
2. पत्रावली में यह भी अंकित है कि नियमित किये जाने वाले रकबे पर कोई राशि बकाया होनी नहीं पाई जाति है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पेश शपथ–पत्र व सिंचाई विभाग की पर्ची के आधार पर क्रेतागण का कब्जा साबित है। सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई न ही अलॉटी को जरिये नोटिस तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

आया। प्रकरण नियमन योग्य होने से समिति के समक्ष रखा गया। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ''नियमन सिफारिश की जाती है'' अंकित है, जिसके नीची तहसीलदार, प्रधान, विकास अधिकारी एवं सरपंच के हस्ताक्षर हैं। उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रिकार्ड में क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये है। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष वकुंलाय की बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के बिन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कास्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुऐ थे एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय रेस्पोडन्ट के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। मार्केट रेट की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव–6/2011/32/जी. एस.आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नहीं है। अन्तरण नहीं होने के कारण दर्ज आवंटी होने के कारण कोई शास्ति भी नहीं थी। हमने समय पर कार्यवाही की इस कारण हमें 25 प्रतिशत राशि देनी पड़ी। देरी करने वालों को नहीं देनी पड़ी। आज निर्णय निरस्त करने पर नये सिरे से विचार करने पर 25 प्रतिशत राशि देय नहीं होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में नये विधान की स्थिति लागू होगी जिसमें 25 प्रतिशत राशि का प्रावधान नहीं है। तर्क दिया कि विज्ञप्ति आपत्ति हेतु प्रकाशित है किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात हक एवं कब्जा काश्त के बारे में कोई विवाद नहीं है। किसी ने आपत्ति इसी कारण प्रस्तुत नहीं की।

6. आवंटी एवं उसकी वारिसान से प्रश्नगत रकबा खरीद किया गया है। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि नियम 5 (क) के अनुसार शास्ति जमा होने पर नियमन की जानी थी।

7. आवंटन जमाबंदी से स्पष्ट एवं प्रकट था। ऐसी स्थिति में आवंटन पत्रावली तलब करना प्रश्नगत नहीं था क्यों कि आवंटन चुनौतीग्रस्त नहीं था अपितु भूमि पर हमारा कब्जा बतौर क्रेता होने उसका नियमन किया जाना था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि धारा–140 एल. आर. एक्ट अनुसार जमाबन्दी के इन्द्राज की सत्य की अवधारणा की जावेगी जब तक कि उसे विपरीत सिद्ध न कर दिया जावे। अपील के स्तर पर इन्होंने आवंटन नहीं होने के तथ्य को सिद्ध नहीं किया। ऐसी स्थिति में आवंटन पत्रावली तलब करने की आवश्यकता नहीं थी क्यों कि आवंटन आदेश को चुनौती नहीं दी थी। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि की राशि जमा होने पर सनद जारी की जानी थी। प्रश्नगत भूमि पर हमारा ही कब्जा काश्त है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 9 (79) रेव–6/2011 1 जी.एसव.आर. 177 जनवरी 03, 2012 के अनुसार आवंटी और अन्तरिती दोनां का आवेदन आवश्यक नहीं है। अपितु आवंटी अथवा अन्तरिति का आवेदन पर्याप्त है अर्थात् दोनों में से किसी एक का आवेदन पर्याप्त है ऐसी स्थिति में आवंटी को तलब करने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि अपीलाधीन आदेश की इन्होंने कोई अपील नहीं की है। इन्हें कोई व्यथा होती तो ये अपील करते।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. प्रश्नगत भूमि पर हमारा कब्जा काश्त है। नियम 5 (क) के अनुसार नियमन सही हुआ है। अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित पर्याप्त विश्वसनीय कारण स्पष्ट अंकित नहीं किया है। नियमन कमेटी में रखकर कमेटी की राय से हुआ है। कमेटी का तहसीलदार सदस्य है। जिनके हस्ताक्षर कमेटी की बैठक में नियमन सिफारिश के साथ अंकित है। कमेटी में सरपंच सदस्य है जो कि कब्जे की एवं काश्त की तथा विक्रय होने की स्थानीय जानकारी रखते है। सरपंच जनप्रतिनिधि होते है। इस कारण उनकी उपस्थिति में हुआ निर्णय केवल अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर हुआ निर्णय नहीं कहा जा सकता है। जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से राय रखने और निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहते हैं। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

10. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया।

11. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशप होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

12. जहां तक गुणवगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी चक 1 जी0जी0आर0 संवत 2062 से 65 मे विचित्रसिंह, बोधासिंह पि0 बूटासिंह जट सिख अलॉटी दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है। मूल अलॉटी प्रश्गनत रकबा रेस्पोडेण्ट को बैय कर दिया हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज पेश हुआ है वह केवल इकरारनामा है जो नक्षत्र सिंह पुत्र ज्ञान द्वारा सम्पादित करवाया गया है। मूल आवंटी का बैयनामा जो प्रस्तुत किया गया है वह मूल आवंटी विचित्रसिंह व बोधासिंह द्वारा गुरदेव सिंह, सुरजनसिंह, सुरेन्द्रसिंह के पक्ष में करवाया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि मूल आवंटी ने नक्षत्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह को सम्मत रजिस्टर्ड बैयनामा करवाया गया हो। मूल आवंटी को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साधारण सम्मन से तलब किया जाना आवश्यक था यदि साधारण सम्मन से तामील नही होती है तो रजिस्टर्ड सम्मन द्वारा तथा उसके बाद समन अखबार में प्रकाशित करवाकर तामील करवाई जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने मूल अलॉटी के सम्मन/नोटिस सीधे ही अखबार में प्रकाशिक करवाये हैं जो विधि सम्मत नहीं है। मूल अलॉटी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

समस्त किश्तें जमा करवाई अथवा नहीं इस संबंध में रिपोर्ट अपेक्षित है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय इस निर्देश के के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि मूल आवंटी को विधि सम्मत तामील करवा कर मूल आवंटी के उपस्थित आने पर उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 128.05.2010 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है मूल आवंटी को विधि सम्मत तामील करवा कर तथा मूल आवंटी के उपस्थित आने पर उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित हों। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.03 13:31:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: